दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे
SOUTH EAST CENTRAL RAILWAY
कार्यालय वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी, रायपुर
Office of the Sr. Divisional Personnel Officer, Raipur

Skill India

अधिसूचना

विषयः– वर्ष 2020–21 के लिए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे रायपुर मंडल तथा वैगनरिपेयर शॉप, रायपुर में अप्रेंटिस एक्ट–1961 एवं अप्रेंटिस नियम–1962 के अंतर्गत एक्ट अप्रेंटिसों का चयन (Engagement) ।

1. दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे रायपुर मंडल तथा वैगनरिपेयर शॉप, रायपुर में अप्रेंटिस एक्ट–1961 के अंतर्गत निम्नलिखित पदनामित ट्रेडों पर अप्रेंटिस के रूप में चयन (Engagement) के लिए रायपुर मंडल तथा वैगनरिपेयर शॉप, रायपुर हेतु पात्र उम्मीदवारों से **https://apprenticeshipindia.org** वेबसाइट पर दिनांक 02.11.2020 से 01.12.2020 (23.59 बजे तक) ऑन लाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं ।

1.1 **रायपुर मंडल** की रिक्तियों/पदों की संख्या (ट्रेड अनुसार):

क्रं.	ट्रेड	अना.	ई.डब्लू.एस	अ.पि.व.	अ.जा	अ.ज.जा	कुल	दिव्यांग	भू.पू.सै.
1	वेल्डर	19	05	14	08	04	50	02	05
2	टर्नर	09	03	07	04	02	25	01	03
3	फिटर	19	05	14	08	04	50	02	05
4	इलेक्ट्रिशिन	19	05	14	08	04	50	02	05
5	स्टेनोग्रफर (अंग्रेजी)	01	00	01	00	00	02	00	00
6	स्टेनोग्रफर (हिन्दी)	01	00	01	00	00	02	00	00
7	हेल्त एण्ड सेनेटरी इंस्पेक्टर	02	00	01	00	00	03	00	00
8	कोपा	03	01	02	01	01	08	00	01
9	मशीनिष्ट	03	01	03	02	01	10	00	01
10	मेकेनिक डीजल	06	02	04	02	01	15	01	02
11	मेकेनिक रेफरीजिरेटर एण्ड एयर कंडीशनर	03	01	03	02	01	10	00	01
12	मेकेनिक आटो इलेक्ट्रिकल एण्ड इलेक्ट्रानिक्स	12	03	08	05	02	30	01	03
	TOTAL	**97**	**26**	**72**	**40**	**20**	**255**	**09**	**26**

(नोटः– रायपुर मंडल के विभिन्न विभागों के मांग के आधार पर उक्त पदों की गणना की गई है)

1.2 **वैगन रिपेयर शाप, रायपुर** की रिक्तियों/पदों की संख्या (ट्रेड अनुसार):

क्रं.	ट्रेड	अना.	ई.डब्लू.एस	अ.पि.व.	अ.जा	अ.ज.जा	कुल	दिव्यांग	भू.पू.सै.
1	फिटर	28	07	19	10	05	69	03	07
2	वेल्डर	28	07	19	10	05	69	03	07
3	मशीनिष्ट	02	00	01	01	00	04	00	00
4	इलेक्ट्रिशिन	04	01	02	01	01	09	00	01
5	मोटर मेकेनिक	02	00	01	00	00	03	00	00
6	टर्नर	01	00	01	00	00	02	00	00
7	स्टेनोग्रफर (हिन्दी)	01	00	00	00	00	01	00	00
8	स्टेनोग्रफर (अंग्रेजी)	01	00	00	00	00	01	00	00
	TOTAL	**67**	**15**	**43**	**22**	**11**	**158**	**06**	**15**

ATL · 2 Nos

2. शैक्षिणिक/तकनीकी योग्यता :–

अ) अभ्यार्थी को 10+2 शिक्षा पद्धति के तहत 10 वीं (मैट्रिक) या इसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए ।

ब) अभ्यार्थी को किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से संबंधित ट्रेड में आई.टी.आई. की परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।

3. आयु सीमा:– अभ्यार्थी की आयु दिनांक 01.07.2020 को 15 वर्ष से कम तथा 24 वर्ष से ज्यादा नहीं होना चाहिए । अधिकतम आयु सीमा में अजा/अजजा के उम्मदवारों को 05 वर्ष एवं अपिव के उम्मीदवारों को 03 वर्ष, दिव्यांग एवं भूतपूर्व सैनिक के उम्मीदवार को 10 वर्ष की छूट होगी । समुदायवार जन्म तिथि निम्नानुसार होनी चाहिए:–

कमांक	समुदाय	अभ्यार्थी की जन्मतिथि निम्न दोनों तिथियों के मध्य की होनी है ।
01	अनारक्षित	01.07.1996 से 01.07.2005
02	अनुसूचित जाति	01.07.1991 से 01.07.2005
03	अनुसूचित जनजाति	01.07.1991 से 01.07.2005
04	अन्य पिछडा वर्ग	01.07.1993 से 01.07.2005
05	दिव्यांग/भूतपूर्व सैनिक	01.07.1986 से 01.07.2005

*उम्र में छूट हाल के जाति प्रमाण पत्र संलग्न करने पर ही दिया जायेगा ।

4. अप्रेंटिस प्रशिक्षण की अवधि एवं छात्रवृत्ति:– चयनित अभ्यार्थी प्रशिक्षु के रूप में नियोजित किये जायेंगे तथा उन्हे केवल 1 वर्ष की अवधि के लिए प्रशिक्षुता/अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए भेजा जायेगा । नियोजित प्रशिक्षुओं को छत्तीसगढ राज्य सरकार के नियमानुसार प्रशिक्षण के दौरान वजीफा/छात्रवृत्ति का भुगतान किया जायेगा । अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग पूरी कर लेने के बाद उनका प्रशिक्षण स्वतः समाप्त हो जायेगा ।

5. चयन प्रकिया:– प्रवीणता सूची बनाने हेतु निम्नलिखित मापदंड अपनाया जायेगा, **अभ्यार्थी द्वारा मैट्रिक (न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक अहर्ता हेतु आवश्यक होगा)** तथा आई.टी.आई. में प्राप्त अंक प्रतिशत को समान भारता देते हुये प्रवीणता सूची जारी की जायेगी । (स्थापना नियम कमांक 201/2017) । **अभ्यार्थी आवेदन करते समय अपने 10वीं और आईटीआई (ITI) के अंको को पोर्टल पर योग्यता सेक्शन मे निश्चित रूप से भरें अन्यथा आपके आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा तथा आपका आवेदन स्वतः निरस्त हो जाएगा ।**

6. चिकित्सा परीक्षण :– चयनित उम्मीदवारों को अप्रेंटिसशिप अधिनियम 1961 और परिशिष्ट नियम 1992 के पैरा 4 (समय समय पर संशोधित) के अनुसार निर्धारित प्रमाण पत्र में दस्तावेज सत्यापन के समय चिकित्सा प्रमाण पत्र लाने की सलाह दी जाती है । मेडिकल सर्टिफिकेट पर सरकार द्वारा अधिकृत केंद्रीय/राज्य शासन के अस्पताल के सर्जन डॉक्टर (राजपत्रित) से हस्ताक्षर होने चाहिए तथा सहायक सर्जन से नीचे रैंक का नहीं होना चाहिए ।

7. सविदा :– चयनित उम्मीदवार को अनुबंध देना होगा या, यदि वह नाबालिग है तो उसके अभिभावक को नियोक्ता के द्वारा जारी शिक्षुता के अनुबंध में पालक /अभिभावक का हस्ताक्षर किया जाना है।

8. रोजगार की स्वीकृति का प्रस्ताव:–प्रशिक्षण समाप्ति के पश्चात् किसी भी प्रशिक्षु को किसी भी रोजगार के प्रस्ताव के लिए नियोक्ता बाध्य नही होगा और ना ही प्रशिक्षु नियोक्ता द्वारा प्रस्तावित किसी भी रोजगार को स्वीकार करने के लिए बाध्य होगा। अभ्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि वे अप्रेंटिस एक्ट 1961 के तहत नियमो एवं अधिनियमों की भली भॉति जानकारी प्राप्त कर लें।

9. भूतपूर्व सैनिक :– 10 प्रतिशत आरक्षण के तहत चयनित भूतपूर्व सैनिक, उनके बच्चे एवं सशस्त्र बल जवानो के बच्चे जो उन्हे प्रदान किया गया है, अनारक्षित/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग श्रेणी के भूतपूर्व सैनिक को उनकी संबंधित श्रेणी में रखा जाएगा एवं उन्हे अप्रेंटिसशिप के लिए नीचे दिए गये विवरण के अनुसार नियुक्त किया जाएगा। क) मृत सैनिक के बच्चे /युद्ध के समय मारे गये/दिव्यांग सैनिक सहित, ख) भूतपूर्व सैनिक के बच्चे, ग) सेवारत अधिकारी के बच्चे, घ) भूतपूर्व सैनिक, ङ) सेवारत जवान के बच्चे ।

10. आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि :– पूर्ण रूप से भरे गए ऑनलाइन आवेदन को केवल ऑनलाइन प्रकिया से दिनांक 02.11.2020 से 01.12.2020 (23.59 बजे) तक ही स्वीकार किया जाएगा । कृपया आवेदन की दैहिक (Physical) प्रति इस कार्यालय को न भेजें ।

11. अभ्यार्थी के लिए सामान्य निर्देश:–

क) अभ्यार्थी केवल **https://apprenticeshipindia.org** वेबसाइट के माध्यम से ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करें ।

ख) यदि अभ्यार्थी अजा/अजजा/अपिव समुदाय अथवा ई.डब्लु.एस. से हो तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी हाल ही का जाति/ई.डब्लु.एस. अभ्यार्थी हाल में जारी किया गया आय प्रमाण पत्र को वेब पोर्टल पर अपलोड करें ।

ग) किसी भी प्रकार के पैरवी या दबाव डालने पर अभ्यार्थी को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा ।

घ) आवेदक को प्रशिक्षु के रूप में ज्वाइनिंग के पहले आने जाने पर किसी भी प्रकार का टीए/डीए नहीं दिया जायेगा ।

ङ) यदि अभ्यार्थी सत्यापन के लिए अपेक्षित मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में अक्षम हो एवं किसी प्रकार के विसंगति देखी जाती है तो उनकी उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी ।

च) यदि रेलप्रशासन को ऐसी जानकारी प्राप्त होती है कि अभ्यार्थी/चयनित अभ्यार्थी ने गलत/जाली/झूठा प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया है तो रेल प्रशासन किसी भी चरण में, चयन होने के बाद जारी प्रशिक्षण के दौरान भी बिना किसी पूर्व सूचना के बर्खास्त करने का अधिकार रखता हैं ।

छ) रेल प्रशासन अभ्यार्थी का चयन न होने या बुलावा न मिलने पर जवाब भेजने के लिए किसी प्रकार का उत्तरदायित्व नही लेता है। इस कार्यालय में जमा किए गए आवेदन के संबंध में किसी भी व्यक्ति या संगठन से पत्राचार नही किया जाएगा।

ज) जो दिव्यांग का लाभ लेना चाहते हैं वे सक्षम प्राधिकाररी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें(अर्थात् केंद्र अथवा राज्य सरकार द्वारा विधिवत गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी)

झ) अभ्यार्थी के आवेदन की स्वीकृति, अस्वीकृति पात्रता संबंधित निर्णय एवं चयन के प्रकार हेतु रेल प्रशासन का निर्णय अंतिम माना जाएगा।

12. सहायता हेतु :–

01	दूरभाष संख्या	0771-2252294	अधिक जानकारी के लिए कार्यालयीन समय प्रातः 09:30 से संध्या 06:00 तक सोमवार से शुक्रवार के मध्य कार्यालयीन दिवस में संपर्क किया जा सकता है।
02	कार्यालय का पता	वरि.मंडल कार्मिक अधिकारी कार्यालय, मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय परिसर, वॉल्टेयर गेट के निकट, रायपुर (छ.ग.) पिन संख्या:–492008	

नोट– किसी संशय/विरोधाभाष कि स्थिति में अधिसूचना की अंग्रेजी प्रारूप ही मान्य होगा।

(आर. शंकरन)
सहायक कार्मिक अधिकारी
कृते वरि. मंडल कार्मिक अधिकारी
दिनांक 02.11.2020

ई/पीबी/आर/भर्ती/एक्ट.अप्रेंटिस/01/2020–21

प्रतिलिपि–

1. जिला रोजगार अधिकारी/रायपुर (छ.ग.) 2. प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी/द.पू.म.रेलवे को सूचनार्थ । 3. मंडल रेल प्रबधक के सादर सूचनार्थ । 4. सी.डब्लु.एम./डब्लु.आर.एस./रायपुर । 5. मंडल समंवयक/द.पू.म.रेलवे म. कॉग्रेंस/रायपुर। 6. आर.डी, आडीएसडी एण्ड ई/रायपुर(माना कैंप) छत्तीसगढ । 7. मंडल सचिव/अ.भा.अनु.जा.जजा.रे.क. संघ एवं द.पू.म. रेलवे अ.पि.व.रे.क.संघ/रायपुर । 8. मु.जनसंपर्क अधिकारी/द.पू.म.रे./रायपुर एवं बिलासपुर को अधिसूचना के प्रकाशन/प्रचार हेतु । 9. समस्त कर्मचारी एवं कल्याण निरीक्षक/रायपुर । 11. सूचना पटल।

कृते वरि. मंडल कार्मिक अधिकारी
द पू म रेलवे,रायपुर

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे
SOUTH EAST CENTRAL RAILWAY
कार्यालय वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी, रायपुर
Office of the Sr. Divisional Personnel Officer, Raipur

Skill India
कौशल भारत - कुशल भारत

NOTIFICATION

Sub:-Engagement of Act Apprenticeship in SECR Raipur Division & Wagon Repair Shop/ Raipur for the year 2020 – 21 under Apprentices Act- 1961 and Apprenticeship Rules 1962.

1. Online applications through the **website:** https://apprenticeshipindia.org from **02.11.2020 to 01.12.2020** (till 23.59 hrs.) are invited from the eligible candidates for engagement as Trade Apprentices under Apprentices Act – 1961 in Raipur Division & Wagon Repair Shop/ Raipur of South East Central Railway against the following designated trades: -

1.1 DRM OFFICE SECR RAIPUR (Establishment No. E05202200048)

Srl. No.	TRADE	UR	EWS	OBC	SC	ST	Total	PWD	Ex. Ser.Man
1	WELDER	19	05	14	08	04	50	02	05
2	TURNER	09	03	07	04	02	25	01	03
3	FITTER	19	05	14	08	04	50	02	05
4	ELECRTICIAN	19	05	14	08	04	50	02	05
5	STENO GRAPHER (Hindi)	01	00	01	00	00	02	00	00
6	STENO GRAPHER (English)	01	00	01	00	00	02	00	00
7	H.S. INSPECTOR	02	00	01	00	00	03	00	00
8	COMP. OPERATOR	03	01	02	01	01	08	00	01
9	MACHINIST	03	01	03	02	01	10	00	01
10	MECHANIC DIESEL	06	02	04	02	01	15	01	02
11	MECHANIC REFRIGATION AND AIR CONDITIONING	03	01	03	02	01	10	00	01
12	MECHANIC AUTO ELECTRICAL AND ELECTRONICS	12	03	08	05	02	30	01	03
	TOTAL	97	26	72	40	20	255	09	26

(Note:- The above posts have been calculated based on the demand of various department of Raipur Division)

1.2 WAGON REPAIR SHOP/RAIPUR(Establishment No. E11152200001)

Srl. No.	TRADE	UR	EWS	OBC	SC	ST	Total	PWD	Ex. Ser.Man
1	FITTER	28	07	19	10	05	69	03	07
2	WELDER	28	07	19	10	05	69	03	07
3	MACHNIST	02	00	01	01	00	04	00	00
4	ELECTRICIAN	04	01	02	01	01	09	00	01
5	M.M.VEHICLE	02	00	01	00	00	03	00	00
6	TURNER	01	00	01	00	00	02	00	00
7	STENO GRAPHER (Hindi)	01	00	00	00	00	01	00	00
8	STENO GRAPHER (English)	01	00	00	00	00	01	00	00
	TOTAL	67	15	43	22	11	158	06	15

*** Vacancies above may be increased/ decreased with the discretion of administration, if necessary.**

2. **Educational qualification/ Technical Qualification:**

a) Must have passed 10th class examination under 10+2 system of education or its equivalent.

b) Must have passed I.T.I. course in relevant trade from a Recognized Institution.

3. **Age Limit:** The candidates should have completed 15 years of age and should NOT have completed 24 years of age as on 01.07.2020. * The upper age limit is relaxable by 05 years for SC/ ST candidates, 03 years for OBC, 10 years for Ex-Servicemen and PWD.

Srl. No	Community	Candidate should be born between (both dates inclusive)
01	UR	01.07.1996 to 01.07.2005
02	SC	01.07.1991 to 01.07.2005
03	ST	01.07.1991 to 01.07.2005
04	OBC	01.07.1993 to 01.07.2005
05	PWD/ Ex-Servicemen	01.07.1986 to 01.07.2005

* Relaxation in age is subject to submission of recent caste certificate.

4. **The period of Apprentice training & Stipend:** Selected candidates will be engaged as apprentices and they will undergo apprenticeship training for a period **1 Year** for each trade. They will be paid stipend during their training as per the rules of State Government of Chhattisgarh. **Their training will be terminated after the completion of their apprenticeship.**

5. **Criteria for preparing merit list in the selection:**
The following criteria are prescribed for preparation of merit in the selection: -
Taking the average of the % age marks obtained by the candidates in both **Matriculation [with minimum 50% (aggregate) marks]** and ITI examination giving equal weightage to both (Railway Establishment Rule 201/ 2017). **Candidates must filled their 10th and ITI marks on the portal in qualification section, otherwise your application will be automatic rejected.**

6. **Medical Examination:**
Selected candidates may be advice to bring medical certificate at the time of document verification in the prescribed porforma as per Apprenticeship act 1961 and Para 4 of the apprenticeship Rule 1992(As amended from time to time). The Medical certificate should be signed by Government authorised Doctor (GAZ.), Not below the rank Asstt. Surgeon of Central/State Hospital.

7. **Contract:**
The selected candidates or, if he is minor, his guardian has be enter into a contract of apprenticeship with the employer.

8. **Offer of acceptance for engagement:**
It is not obligatory on the part of employer to offer any employment to any apprentice after completion of training, nor shall it be obligatory for the apprentices to accept any employment, if offered by the employer. The candidates are advised to get themselves familiarized with the rules and regulations under the Apprentices Act, 1961.

9. **Ex-Servicemen:-** Ex-Servicemen candidates selected under the reservation of 10% provided for them are to be placed in the appropriate category viz. UR/ SC/ ST/ OBC to which they belong. Reservation to Ex-Servicemen, their children and children of Armed Force personnel will be for Apprenticeship as per details mentioned below: -
a. Children of deceased/ disabled Ex-Servicemen including those killed/ disabled during peace time. **b.** Children of Ex –servicemen, **c.** Children of Serving Jawan's, **d.** Children of Serving Officer, **e.** Ex-Servicemen.

10. **Last date for receipt of application:** The online application completed in all respect, can be submitted through **online from 02.11.2020 to 01.12.2020 (23.59 Hrs)**. No physical copy of the application is required to be sent to Raipur division or Wagon Repair shop/ Raipur.

11. **General instruction to the candidates:**

a. Applications must be submitted online only on the web address https://apprenticeshipindia.org.

b. If a candidate belongs to SC/ ST/ OBC community or EWS, he should upload recent caste/EWS certificate issued by competent authority on the above web portal.

c. **CANVASSING IN ANY FORM SHALL DISQUALIFY THE CANDIDATES.**

d. No Travelling Allowance/ Daily allowance shall be paid to the candidates.

e. The candidates will have to upload soft/ scanned copy of present passport size colour photograph and scanned signature along with necessary documents pertaining to education/ technical qualification on the website.

f. Candidature of the candidate shall be cancelled if he/she fails to produce the required original testimonials for verification or any discrepancy noticed.

g. If it is noticed by the Railway Administration that the applicant has furnished wrong/fake certificates/false certificates, the Railway administration reserves the right to discharge the candidate/selected candidate at any stage without notice even after his selection to undergo training.

h. The Railway Administration does not undertake any responsibility for sending reply to the candidates either selected or otherwise. No correspondence in respect of the applications submitted shall be entertained or replied by this office to any individual or organization.

i. The Railway Administration will not be responsible for any printing error.

j. Persons with disability (PWD) who want to avail the benefit for reservation must produce a disability certificate issued by a competent authority with not less than 40% of disability i.e. Medical Board duly constituted by the Central or State government.

k. The decision of the Railway administration in all matters relating to eligibility, acceptance or rejection of the applications and mode of selection shall be final.

12. Helpline Contact: -

01	**Land Line Number**	**0771-2252294**	**In case of any query Please contact this office during Office hours in working day. (09:30 AM to 06:00 PM).**
02	**Office Address**	**Sr. Divisional Personnel Office, DRM Office Complex, Near Waltiar Gate, Raipur (C.G.) Pin No- 492008**	

(R. Shankran)
Assistant Personnel Officer
For Sr. Divisional Personnel Officer
Date: 02.11.2020

No: E/ PB/ R/ Rectt/ Act Appr./ 01

Copy for information and necessary action to:

1. District Employment officer-Raipur. 2. PCPO/ SECR/ BSP for information. 3. PS to DRM for kind information of DRM/ Raipur please. 4. CWM/WRS/Raipur 5. Regional Director, RDSD&E/Raipur(Mana Camp) Chhattisgarh. 6. Divisional Co-Ordinator of SECRMC/ Raipur. 7. Divisional Secretary of AISCSTREA & SECROBCEA/ Raipur. 8. CPRO/ SECR/R& BSP for publication. 10. All S&WIs of Raipur Division. 11. Notice Boards.

For Sr Divisional Personnel Officer
S.E.C.Railway, Raipur